16.04.2019

वकूलाय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेशिका के द्वारा प्रतिवादी सं04लगायत11, 24 एवं 28 की ओर से प्रस्तुत आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रतिवादी सं04लगायत11,24 एवं 28 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में कहा कि दावे में राजस्व न्यायालय में लंबित वादग्रस्त भूमि का उल्लेख है। इसी भूमि के लिये पुनः इस न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। वर्ष 2004 के बाद प्रतिवादीगण का ऐसा कोई कृत्य नहीं बताया गया जिससे वादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ हो। प्रतिवादी सं016 की मृत्यु हो चुकी है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध दावा पेश किया है इसलिये दावा अबेट हो चुका है। वर्ष–2008 में दावा खारिज होने के बाद क्या नया वाद कारण उत्पन्न हुआ है, वादी ने नहीं बताया है। वाद के चरण सं014 में पूर्व के मुकद्मों का उल्लेख है, वाद कारण की दिनांक व स्थान नहीं बताये गये है। वाद मियाद के भीतर होने का तथ्य भी नहीं बताया गया है। राजस्व न्यायालयों का अनुतोष इस न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता। राजस्व न्यायालय में मुकद्में व अपीलें पूर्व से चल रही है। उनका अभी अन्तिम निस्तारण नहीं हुआ है। वादी ने पूर्व में भी दावा पेश किया था जो अबेट हो चुका है। दावा विधि द्वारा वर्जित है और मियाद बाहर है। सरकार को पक्षकार बनाया गया है लेकिन उन्हें धारा 80जाप्ता दीवानी का नोटिस नहीं दिया गया। न्यास अधि0 की धारा 29,72,73 के अनुरूप भी वाद पेश नहीं किया गया है। अतः वादीगण का वाद आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज किया जावे।

वादी–अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादीगण को जो भी आपत्ति लेनी है वह जवाब दावे में ले सकता है मगर नियत अवधि में प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश नहीं किया है। जवाब दावे की अवधि समाप्त होने के बाद आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना–पत्र पेश कर इसी प्रार्थना–पत्र

के आधार पर वाद को निरस्त करवाना चाहता है। वाद–कारण वाद में उल्लेखित है फिर भी न्यायालय ही वाद–कारण देख सकता है, उस पर तनकी बनाकर निर्णय कर सकता है। धारा 80(2) जाप्ता दीवानी की आपत्ति राज्य सरकार की ओर से नहीं ली गयी है। राज्य सरकार और उसके अधिकारी पक्षकार होने के बावजूद उन्होने इस सम्बंध में कोई आपत्ति नहीं की है। यह आपत्ति लेने का अधिकार शेष प्रार्थी–प्रतिवादीगण को नहीं है। प्रतिवादी सं016 को जमाबंदी के आधार पर पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं016 के कायम मुकामान का पता नहीं था। फिर भी प्रतिवादी सं016 की मृत्यु होने मात्र से अब दावा अबेट नहीं होता। दावा अबेट होने की आपत्ति आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना–पत्र में भी नहीं ली जा सकती। किसी एक बिन्दु के आधार पर पूरा दावा खारिज नहीं किया जा सकता। सम्पूर्ण वाद के तथ्यों को देखकर ही वाद–कारण, मियाद आदि के बारे में अवधारणा की जा सकती है। प्रार्थी–प्रतिवादीगण ने अनावश्यक प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे। अप्रार्थी–वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने पक्ष समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों का हवाला दियाः–

(1) III(2012) सी0एल0टी0 1 इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रेखा बनाम वीरमति व अन्य,
(2) 2018(3) आर0एल0डब्ल्यू0 2097(राज0)
चैनाराम भाट बनाम श्रीमति शांति व अन्य,
(3) 2018 डी0एन0जे0(एस0सी0) 769
सोमित्र कुमार सेन बनाम श्यामल कुमार सेन व अन्य,
(4) 2015 डी0एन0जे0 (एस0सी0) 242
पी0वी0 गुरू राज रेड्डी व अन्य बनाम निराधा रेड्डी व अन्य

तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी–प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के वादपत्र का जवाब पेश नहीं किया गया है। केवल आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी के तहत प्रार्थना–पत्र पेश कर आपत्ति की है। मुख्य रूप से प्रार्थी–प्रतिवादीगण ने आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना–पत्र के सम्बंध में यह आक्षेप लिया है कि वाद–कारण स्पष्ट नहीं बताया

गया है। वर्ष 2004 व 2008 में वाद खारिज होने के बाद क्या वाद–कारण उत्पन्न हुआ, धारा–80 व 80(2) जाप्ता दीवानी की पालना नहीं की गयी है, प्रतिवादी सं016 की मृत्यु होने के बावजूद उसको पक्षकार बनाया गया है, पूर्व के न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना की गयी है, सुगनचंद के वारिसान के तथ्य को छिपाकर पक्षकार बनाया गया है, अनुतोष सं07 इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। उक्त तथ्यों से अप्रार्थी–वादीगण की ओर से जवाब पेश कर इन्कारी की गयी है। वाद सं0 122/05 गुणदोष के आधार पर खारिज नहीं होना, बिना जवाब दावे के आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी में आपत्ति नहीं ले पाना, धारा 80जाप्ता दीवानी की आपत्ति सरकार की ओर से बनाये गये पक्षकारान द्वारा नहीं लेना, प्रतिवादी सं016 की मृत्यु की जानकारी नहीं होना, उसके वारिसान की जानकारी नहीं होना तथा प्रार्थी–प्रतिवादीगण द्वारा ली गयी आपत्तियां आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी के तहत नहीं उठाया जा सकना बताया है।

आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी के तहत वाद को नामंजूर करने के लिये विशिष्ठ आधार बताये गये है। उक्त आधारों के सम्बंध में केवल वादपत्र के तथ्यों को देखा जाना होता है। जवाब या प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादपत्र को आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी के तहत नामंजूर नहीं किया जा सकता। यह सही है कि प्रार्थी–प्रतिवादीगण ने पूर्व के मुकद्मों के दस्तावेज पेश किये है।, मुकद्में खारिज भी हुए है और उनकी अपीले भी लंबित है। यह भी सही है कि धारा 80जाप्ता दीवानी की पालना वादीगण की ओर से नहीं की गयी है और यह भी सही है कि प्रतिवादी सं016 की मृत्यु होने के बावजूद उसे पक्षकार बनाया गया है लेकिन ये ऐसे आधार नहीं है कि जिनके आधार पर सम्पूर्ण वादपत्र को खारिज किया जावे। वादीगण द्वारा धारा 92जाप्ता दीवानी के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर दावा पेश किया गया है। वादपत्र में केवल अनुतोष सं07 के बारे में ही न्याय निर्णय नहीं किया जाना है बल्कि ट्रस्ट के क्रिया–कलापों के सम्बंध में न्यायालय

से कई प्रकार के आदेश/निर्देश मांगें गये है। नये ट्रस्ट का गठन कर ट्रस्ट का उचित रूप से संचालन करने, उचित रूप से लेखा–जोखा करने, ट्रस्ट का बैंक खाता खुलवाकर उसका लेन–देन नियमानुसार करने का आदेश देने, ट्रस्ट की भूमि के सम्बंध में उचित व्यवस्था करने, पुराने ट्रस्टी को हटाकर नये ट्रस्टी की नियुक्ति करने, ट्रस्ट की निजी सम्पत्ति का उपयोग ट्रस्टी द्वारा नहीं करने, ट्रस्ट की भूमि का मुआवजा ट्रस्ट के खाते में दर्ज करवाने आदि विभिन्न बिन्दुओं पर यह वाद पेश किया गया है।

प्रार्थी–प्रतिवादीगण ने सभी आपत्तिया आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना–पत्र में ली है। जबकि आपत्तियां जवाब दावे में लेना चाहिये था और जवाब दावे के आधार पर तनकी बनाकर उस पर निर्णय किया जाना चाहिये था। वादपत्र को देखने से यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होता कि दावा अवधि बाधित हो या कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं हो अथवा कोई वाद–कारण उत्पन्न नहीं हुआ हो। पूर्व के मुकद्मों का निर्णय क्या हुआ है, वर्तमान लंबित मुकद्मों का निर्णय क्या होना है इन सब बातों का निर्धारण आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना–पत्र के स्तर पर नहीं किया जा सकता। मुख्य रूप से श्री दिगम्बर जैन परमार्थिक ट्रस्ट चांदखेड़ी के न्यास के गठन करने और न्यास का उचित रूप से संचालन करने के निर्देश देने, न्यास की सम्पत्ति का उचित रूप से रख–रखाव करने के लिये न्यायालय की अनुमति से धारा 92 जाप्ता दीवानी के तहत यह वाद पेश किया गया है। वाद–कारण वाद के समग्र अध्ययन से देखा जा सकता है। केवल प्रतिवादीगण की आपत्तियों के आधार पर वाद–कारण और मियाद का बिन्दु इस स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता।

जहां तक प्रतिवादी सं016 मृतक को पक्षकार बनाने का सम्बंध है, केवल एक पक्षकार की मृत्यु से पूरा वादर अबेट नहीं होता है। वादीगण ने वाद में कहा है कि जमाबंदी में लिखे नाम के आधार पर प्रतिवादी सं016 को पक्षकार बनाया है। उसके कायम मुकामान को पक्षकार बनाने की कार्यवाही की जा सकती है।

अप्रार्थी–वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों का अवलम्बन लिया गया। 2015 डी0एन0जे0 (एस0सी0) 242पी0वी0 गुरू राज रेड्डी व अन्य बनाम निराधा रेड्डी व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है–Avernments in the plaint has to be read as a whole--it cannot be said that the said proceedings *ex-facie* discloses that the suit is barred by limitation or is barred under any law.

इसी प्रकार 2018 डी0एन0जे0(एस0सी0) 769 सोमित्र कुमार सेन बनाम श्यामल कुमार सेन व अन्य के प्रकरण में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि इस स्तर पर केवल वाद के तथ्यों को ही देखा जा सकता है। पूर्व के निर्णयों के तथ्य छिपाने के सम्बंध में इस स्तर पर आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी के तहत कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता।

2018(3) आर0एल0डब्ल्यू0 2097(राज0) चैनाराम भाट बनाम श्रीमति शांति व अन्य के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि–सि0प्र0सं0 के आदेश–7 नियम–11 के तहत आवेदन को अवधारित करते समय न्यायालय को केवल वाद पत्र में किये गये प्रकथनों पर ही विचार करना होता है ना तो प्रतिवादी द्वारा प्रतिरक्षा में उठाये गये अभिवाक् पर और ना ही उनके द्वारा दायर दस्तावेजों पर विचार किया जा सकता है।

जहां तक धारा 80 जाप्ता दीवानी के प्रावधान की पालना नहीं करने का सम्बंध है। III(2012) सी0एल0टी0 1 इलाहाबाद उच्च न्यायालय रेखा बनाम वीरमति व अन्य, के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि धारा 80जाप्ता दीवानी की आपत्ति कोई निजी व्यक्ति नहीं ले सकता। यह आपत्ति केवल राज्य सरकार ही ले सकती है। वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी सं025,26,27 राज्य सरकार और उसके अधिकारी पक्षकार है। उन्होने धारा 80जाप्ता दीवानी की आपत्ति नहीं ली है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी–प्रतिवादीगण के कहने से धारा 80 जाप्ता दीवानी की पालना नहीं करना मानकर आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी के

तहत वादी का वाद नामंजूर नहीं किया जा सकता।

प्रतिवादी सं01,2,3 ने जवाब दावा पेश कर वादी का वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होना बताया है। प्रतिवादी सं0 15,16,17,18 ने जवाब दावा पेश कर कहा है कि वाद से उनका सम्बंध नहीं है, उन्हें गलत पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा अन्य किसी प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश नहीं किया है। वादीगण ने ट्रस्ट के कार्यो को उचित रूप से संचालित करवाने के सम्बंध में वादपत्र पेश किया है। किसी भी प्रतिवादी की ओर से वाद का जवाब पेश कर सभी तथ्यों का खण्डन करते हुए वादपत्र खारिज करने का निवेदन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी–प्रतिवादीगण सं0 4लगायत11, 24 व 28 द्वारा आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी में उठायी गयी आपत्तियां स्वीकार कर वादीगण का वाद नामंजूर करने का तथ्य साबित नहीं होने से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना–पत्र वादीगण बाबत् विलोपित करने नाम प्रतिवादी सं016, प्रार्थना–पत्र प्रतिवादीगण बाबत् रिकॉल करने आदेश धारा 92जाप्ता दीवानी, प्रार्थना–पत्र बाबत् ट्रस्ट का खाता खुलवाने दिनांक.....को पेश हो।

आदेश सुनाया गया।

(डा0राजेन्द्र सिंह चौधरी)
जिला न्यायाधीश,
झालावाड़।